# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0253 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/09/2025 21:08 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 25/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 25/09/2025

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:40 बजे **Time To (समय तक):** 15:53 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/09/2025 **Time (समय):** 16:40 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/09/2025 21:08:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 0.300 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** TEHSIL KARYALAY, TONK

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ABDUL WAHID

(b) Father's Name (पिता का नाम): MOHAMMAD SHAFEEK

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1957 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | NOSHE MIYA KA PUL, LUHARO KI GALI TONK, KOTWALI TONK, TONK, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | NOSHE MIYA KA PUL, LUHARO KI GALI TONK, KOTWALI TONK, TONK, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARENDRA KUMAR BAIRWA | | पिता:SHANKAR LAL BAIRWA | 1. PATWARI PATWAR HALKA,TONK,TONK,RAJASTHA |
| 2 | MOHAMMAD NASEEM | | पिता:HAAJI MIYA | 1. MOHALLA CHUDI GHARAN,PURANI TONK,TONK,RAJASTHAN,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | 15000 रूपये भारतीय | 15,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | चलन मुद्रा | 15,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. टोक विषय - रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं अब्दुल वहीद पुत्र मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी नोशे मिंया का पुल, लुहारो की गली टोक का रहने वाला हू। मैं प्रधानाध्यापक के पद से वर्ष 2017 में सेवानिवृत हुआ हू। मैनें कस्बा टोक गर्बी में स्थित खसरा संख्या 1319/3 में मेरे लडके अंजुम वहीद, अनवर वहीद, ऐजाज वहीद, इमरान वहीद तथा पुत्री तस्लीम वहीद के नाम से कृषि भूमि खरीदी थी। जिनकी रजिस्ट्री मेरे द्वारा उप पंजीयन कार्यालय टोक से करवा दी थी। मैंने मेरे लडके व लडकी की रजिस्टर्ड भूमि का नामान्तरण खुलवाने हेतु तहसील टोक में आवेदन किया। मेरे लडकी तस्लीम व मेरे लडके इमरान वहीद का नामान्तरण खुल चुका है। लेकिन शेष मेरे लडके अंजुम वहीद, अनवर वहीद, ऐजाज वहीद का नामान्तरण नही खुला है। मैं आज से करीब 4-5 दिन पहले तहसील टोक में जाकर श्री नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोक से मिला तथा मेरे लडके के नामान्तरण नही खुलने के बारे में जानकारी की तो बताया कि नामान्तरण ऐसे नही खुलते है उसके लिये खर्चो लगता है तो मैने कहां कि आजकल तो नामान्तरण ओटोमेटिक है तो कहने लगे कि कोई ओटोमेटिक नही है तहसीलदार साहब की आई.डी. अप्रूवल होता है तथा कहने लगा कि 30000 रूपये दो अभी नामान्तरण खुल जायेगा। मैने कहां कि 30000 रूपये किस बात के दू तो कहने लगा कि बिना रूपये के कोई नामान्तरण नही खुलेगा। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोक को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोक से किसी प्रकार की कोई रंजीश व रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी अब्दुल वहीद पुत्र मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी नौषे मिंया का पुल, लुहारो की गली टोक। मो.न. [redacted]कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक दिनांक 25.09.2025 समय 11.40 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी अब्दुल वहीद पुत्र मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी नोशे मिंया का पुल, लुहारो की गली टोक ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं अब्दुल वहीद पुत्र मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी नोशे मिंया का पुल, लुहारो की गली टोक का रहने वाला हू। मैं प्रधानाध्यापक के पद से वर्ष 2017 में सेवानिवृत हुआ हू। मैनें कस्बा टोक गर्बी में स्थित खसरा संख्या 1319/3 में मेरे लडके अंजुम वहीद, अनवर वहीद, ऐजाज वहीद, इमरान वहीद तथा पुत्री तस्लीम वहीद के नाम से कृषि भूमि खरीदी थी। जिनकी रजिस्ट्री मेरे द्वारा उप पंजीयन कार्यालय टोक से करवा दी थी। मैंने मेरे लडके व लडकी की रजिस्टर्ड भूमि का नामान्तरण खुलवाने हेतु तहसील टोक में आवेदन किया। मेरे लडकी तस्लीम व मेरे लडके इमरान वहीद का नामान्तरण खुल चुका है। लेकिन शेष मेरे लडके अंजुम वहीद, अनवर वहीद, ऐजाज वहीद का नामान्तरण नही खुला है। मैं आज से करीब 4-5 दिन पहले तहसील टोक में जाकर श्री नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोक से मिला तथा मेरे लडके के नामान्तरण नही खुलने के बारे में जानकारी की तो बताया कि नामान्तरण ऐसे नही खुलते है उसके लिये खर्चो लगता है तो मैने कहां कि आजकल तो नामान्तरण ओटोमेटिक है तो कहने लगे कि कोई ओटोमेटिक नही है तहसीलदार साहब की आई.डी. अप्रूवल होता है तथा कहने लगा कि 30000 रूपये दो अभी नामान्तरण खुल जायेगा। मैने कहां कि 30000 रूपये किस बात के दू तो कहने लगा कि बिना रूपये के कोई नामान्तरण नही खुलेगा। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोक को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोक से किसी प्रकार की कोई रंजीश व रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर परिवादी श्री अब्दुल वहीद को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड व अपने पुत्रो/पुत्री के रजिस्टर्ड कृषि भूमि की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 12.50 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजिटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड

डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईस की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज आरोपी नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोक से मिलकर अपने पुत्रो/पुत्री का नामान्तरण खुलवाने तथा रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करूगॉ। अतः कानि0 राजकुमार 160 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी व कानि. राजकुमार को वॉयस रिकार्डर में वायस दर्ज करने तथा रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईयी। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कानि0 राजकुमार 160 को सुपुर्द कर समय 1.23 पी.एम पर वायस रिकार्डर को चालू करवाकर परिवादी अब्दुल वहीद को सुपर्द करवाकर परिवादी एवं राजकुमार कानि. 160 को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील टोंक रवाना किया गया। फर्द सुपर्दगी रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 1.45 पी.एम पर राजकुमार कानि मय परिवादी श्री अब्दुल वहीद के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री अब्दुल वहीद रवाना होकर तहसील कार्यालय टोक के बाहर पहुचे। परिवादी को आरोपी नरेन्द्र मीना से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील कार्यालय टोक के लिये रवाना कर मैं तहसील कार्यालय टोक के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी वापस आया और मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता नरेन्द्र बैरवा से हो गई है उन्होने मुझसे कहां कि आपका नामान्तरण खुल गया है जाकर चैक कर लो तथा 30000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा 15000 रूपये आज ही देने हेतु कहां। फिर मैने बाहर आकर नामान्तरण का स्टेटस ऑन लाईन चैक किया तो अभी पेण्डिग ही बता रहा है। फिर मै व परिवादी तहसील कार्यालय टोक से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आये है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद की। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो पाया कि परिवादी व आरोपी के मध्य जो मांग सत्यापन वार्ता हुई है वह स्पष्ट नही है। जिस कारण पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध में परिवादी को अवगत कराया तो परिवादी ने बताया कि मैं जब नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी साहब से वार्ता कर रहा था तब थोडा घबरा गया था जिस कारण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नही हो सकी। लेकिन पटवारी साहब ने मुझे कहां था कि मेरा नामान्तरण खुल गया है लेकिन मैने ऑन लाईन चैक किया तो नामान्तरण अभी पेण्डिग ही बता रहा है। मैं पुनः नरेन्द्र बैरवा पटवारी साहब के पास जाकर अपने नामान्तरण के पेण्डिग होने के सम्बन्ध में बात करूगां तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में भी वार्ता कर लूंगा। समय 2.14 पी.एम पर वायस रिकार्डर को चालू करवाकर परिवादी अब्दुल वहीद को सुपुर्द करवाकर परिवादी एवं राजकुमार कानि. 160 को वास्ते द्वितीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील टोंक रवाना किया गया। समय 2.45 पी.एम पर इस समय राजकुमार कानि 160 मय परिवादी श्री अब्दुल वहीद के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री अब्दुल वहीद रवाना होकर तहसील कार्यालय टोक के बाहर पहुचे। परिवादी को आरोपी नरेन्द्र बैरवा पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील कार्यालय टोक के लिये रवाना कर मैं तहसील कार्यालय टोक के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी वापस आया और मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता नरेन्द्र बैरवा से हो गई है उन्होने मुझसे 30000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15000 रूपये आज ही लाने हेतु तथा शेष 15000 रूपये बाद में देने हेतु कहा है तथा रिश्वत राशि नही देने पर नामान्तरण खारिज करने की धमकी दी। फिर मै व परिवादी तहसील कार्यालय टोक से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आये है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद की । डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. व परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 2.55 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी टोक के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया। समय 3.10 पी.एम. पर श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी टोक से मय दो स्वतन्त्र गवाह 1. श्री मनीष विजय पुत्र श्री रमेश विजय जाति महाजन उम्र 37 साल निवासी 26, महावीर नगर, रजके वाले बाबा के पास टोक हाल वरिष्ठ सहायक, आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर [redacted] एवं 2. श्री राजकुमार कर्णावत पुत्र श्री मोहन लाल कर्णावत जाति खंगार उम्र 38 साल निवासी बम्बोर गेट, अन्नापूर्णा डूंगरी, टोक हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर [redacted] के उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री अब्दुल वहीद से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय (दोनो वार्ताओ) दिनांक 25.09.2025 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालूकर मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का

मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 3.20 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुदा परिवादी श्री अब्दुल वहीद पुत्र मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी नोशे मिंया का पुल, लुहारो की गली टोक को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अब्दुल वहीद के पहनी हुयी जींस की पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाषी स्वतत्र गवाह श्री मनीष विजय से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पावडर लगी हुयी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से रखवायी गयी। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई करायी जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीं ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादी को अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से राजकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3.42 पी.एम. पर सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर वायस रिकार्डर को राजकुमार कानि. 160 से चालू करवाकर परिवादी अब्दुल वहीद को सुपर्द कर रवाना कर एवं श्री राजकुमार कानि. 160 व श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से तथा श्री आसिफ खान स.उ.नि. व जलसिंह कानि. 248 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, मय स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष विजय, श्री राजकुमार कर्णावत तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 16 जीबी को सरकारी कैमेरे में डालकर श्री अजित सिंह कानि. 56 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई तथा सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के तहसील कार्यालय टोक के लिये रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 को छोडा गया। समय 3.46 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा तहसील कार्यालय से पहले आम रोड पर सुरक्षित स्थान पर परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय 4.55 पी.एम पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री अब्दुल वहीद पुत्र मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी नोशे मिंया का पुल, लुहारो की गली टोक ने समय 3.53 पी.एम. पर अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से राजकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर रिश्वत लेन-देन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, श्री आसिंफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, राजकुमार कानि. 160, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, मय सरकारी बोलेरो मय मय चालक गणेश सिंह 375 ट्रैप बाक्स के परिवादी के पास तहसील कार्यालय परिसर में पहुचा। परिवादी के पास दो व्यक्ति खडे हुये थे। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर कहा कि "यह नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी साहब है तथा इनके पास खडा व्यक्ति मोहम्मद नसीम है जो पटवारी साहब का मिलने वाला है। पटवारी साहब के कहने पर मैंने मोहम्मद नसीम को रिश्वत राशि 15000 रूपये दी है। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु हालत मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजकुमार कानि. 160 से बंद करवाकर सुरक्षित रखवाया। परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब ने मेरे पुत्री/पुत्रो के नाम से खरीदी जमीन का

नामान्तरण खोलने की एवज में 30000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर आज ही 15000 रूपये रिश्वत राशि देने हेतु कहां था। मैने अभी-अभी पटवारी साहब के कहे अनुसार मोहम्मद नसीम को रिश्वत राशि 15000 रूपये दिये है जिसने रिश्वत राशि अपने हाथो में लेकर अपने पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम नरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री शंकरलाल बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोक हाल अन्नपूर्णा डुंगरी बम्बोर रोड, टोक हाल पटवारी पटवार हल्का कस्बा टोक गर्बी तहसील टोक होना बताया तथा जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली और न ही मैने परिवादी से कोई रिश्वत राशि मोहम्मद नसीम को देने हेतु कहाँ है न ही मेरे पास कोई रिश्वत राशि है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास खडे दुसरे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री मोहम्मद नसीम पुत्र श्री हाजी मिंया जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी मोहल्ला चूडीघरान, पुरानी टोक होना बताया तथा जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली न ही मैने परिवादी से कोई रिश्वत राशि की मांग की। इस पर परिवादी ने स्वतः ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताया कि आज मैं इनके कार्यालय में जाकर इनसे मिला तथा कस्बा टोक में स्थित खसरा संख्या 1319/3 में मेरे लडके अंजुम वहीद, अनवर वहीद, एजाज वहीद के नाम से खरीदी कृषि भूमि का नामान्तरण खोलने हेतु कहां तो श्री नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी साहब ने नामान्तरण खोलने हेतु 30000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15000 रूपये आज ही लाने हेतु तथा शेष 15000 रूपये बाद मे देने हेतु मुझे कहा गया तथा रिश्वत राशि नही देने पर धमकी देकर नामान्तरण खारिज करने हेतु कहां। मैं इनकी मांग के अनुसार में इनको 15000 रूपये रिश्वत राशि देने हेतु इनके कार्यालय तहसील टोक में गया। जहां पर पहले से ही मोहम्मद नसीम बैठा हुआ था तथा मैने पटवारी साहब को अपने काम की बात की तथा तब पटवारी साहब ने मुझे कार्यालय के बाहर चलने का ईशारा किया। तब मैं कार्यालय के बाहर निकला तो मेरे पीछे-पीछे श्री नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी साहब अपने साथ मोहम्मद नसीम को भी लेकर आये तथा मुझसे कहां कि नसीम को रिश्वत राशि दे दो तो मैने कहां कि आप ही ले लो तथा गिन लो तो कहने लगे कि नसीम को दे दो। फिर मैने श्री नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी साहब के कहने पर रिश्वति राशि 15000 रूपये मोहम्मद नसीम को दे दी। जिसने रिश्वत राशि अपने हाथो में लेकर अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रख ली। इसके बाद मैने मेरे मोबाईल नम्बर 8619768080 से राजकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर 9214028520 पर मिस कॉल कर रिश्वत राशि देने हेतु ईशारा किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी नरेन्द्र बैरवा को पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई माफी चाहता हू। मुझे बचा लो तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी मोहम्मद नसीम को पुनः तसल्ली देकर पूछा तो आरोपी ने कहां कि मैं अभी कुछ देर पहले अपने काम से श्री नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी साहब के पास उनके कार्यालय में आया था। तभी वहाँ पर श्री अब्दुल वहीद जी आये तथा पटवारी से अपने काम की बात की तथा थोडी देर बाद बाहर चले गये। मैं अब्दुल वहीद जी को अच्छी तरह से जानता हू। फिर श्री नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी साहब मुझे अपने साथ लेकर बाहर पार्किग की तरफ आये जहाँ पर श्री अब्दुल वहीद खडे हुये थे। जिन्होने पटवारी साहब को कुछ रूपये देने की कोशिश की लेकिन पटवारी साहब ने स्वंय नही लेकर मुझे दिलवाये। मुझे रूपयो के बारे में कोई जानकारी नही है कि यह रूपये किस बात के है। मुझसे गलती हो गई माफी चाहता हू। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी मोहम्मद नसीम का दाहिना हाथ श्री राजकुमार कानि. 160 व बाया हाथ गवाह मनीष विजय से पोचे से पकडवाकर दोनो आरोपीगणो को हमराह लेकर आरोपी नरेन्द्र बैरवा पटवारी के तहसील कार्यालय में स्थित कार्यालय कक्ष में पहुचा तथा श्री जलसिंह कानि. 248 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मोहम्मद नसीम के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई करायी गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झॉईदार रहा। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हाजरिन ने हल्का गुलाबी झाईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क आरएच-1 व आरएच-2 अंकित कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मोहम्मद नसीम के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला रहा। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हाजरिन ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एलएच-1 व एलएच-2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पष्चात आरोपी मोहम्मद नसीम की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार से लिवाई गई तो गवाह श्री राजकुमार ने आरोपी मोहम्मद नसीम की पहनी हुई पेन्ट की दायी जेब मे से एक 500-500 रूपये की गड्डी निकाल कर पेश की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/-रूपये मिले। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो

नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी दलाल मोहम्मद नसीम की स्वतंत्र गवाह से अन्य जेबो की तलाशी लिवाये जाने पर उसकी जेब से 280 रूपये (200 रूपये का एक नोट, 50 रूपये का एक नोट, 20 रूपये का एक नोट तथा 10 रूपये का एक सिक्का) और मिले, जिन्हे कब्जे एसीबी लिया गयां इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु व कागजात कब्जे एसीबी नही लिये गये। तहसील कार्यालय टोक में भीड एकत्रित हो जाने से सुरक्षा की दृष्टि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मयं डिटेनशुदा आरोपीगण नरेन्द्र बैरवा व मोहम्मद नसीम मय सरकारी वाहन मय चालक के तहसील कार्यालय टोक से रवाना होकर ए.सी.बी. चौकी टोक पहुचा। पूर्व मे स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार के पास रखवाई गई रिश्वति राशि 15000/-रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वति राशि एक कागज के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को कपडे की थैली में सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एन" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। चूकिं रिश्वति राशि नोटो को आरोपी नरेन्द्र बैरवा पटवारी द्वारा अपने हाथो में नही लिया था इसलिये आरोपी नरेन्द्र बैरवा पटवारी के हाथो की धुलाई नही करवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री मोहम्मद नसीम के वक्त घटना पहनी हुयी पेन्ट बरंग नेवी ब्लू को ससम्मान उतरवायी जाकर एक पजामें की व्यवस्था कर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल में आरोपी की पहनी हुये पेन्ट की दायी जेब को उलटकर स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार से धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट बंरग नेवी ब्लू की जेब जिसमे से रिश्वति राशि बरामद हुई कि जेब को सूखवाकर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क "पी" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी नरेन्द्र कुमार बैरवा का कस्बा टोक में स्थित आवास की तलाशी हेतु निर्देशानुसार श्री ज्ञानचन्द चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी सवाई माधोपुर को टेलिफोनिक निवेदन किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री अब्दुल वहीद द्वारा पूर्व मे रिश्वति राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री अब्दुल वहीद व आरोपीगण नरेन्द्र बैरवा पटवारी व मोहम्मद नसीम के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडियॉ अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि कस्बा टोक में स्थित खसरा संख्या 1319/3 में परिवादी ने अपने पुत्रों/पुत्री अंजुम वहीद, अनवर वहीद, एजाज वहीद, इमरान वहीद तथा पुत्री तस्लीम वहीद के नाम से कृषि भूमि खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री परिवादी द्वारा उप पंजीयन कार्यालय टोक से माह जून 2025 में करवा दी थी। परिवादी ने रजिस्टर्ड भूमि का नामान्तरण खुलवाने हेतु तहसील टोक में आवेदन किया था। परिवादी की लडकी तस्लीम व लडके इमरान वहीद के नाम दिनांक 19.09.2025 को नामान्तरण खुल चुका है तथा अंजुम वहीद, अनवर वहीद, एजाज वहीद के नाम नामान्तरण नही खुला। परिवादी के पुत्र अंजुम वहीद, अनवर वहीद, एजाज वहीद के नाम नामान्तरण खोलने हेतु श्री नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी ने 30000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15000 रूपये आज ही लाने हेतु तथा शेष 15000 रूपये बाद मे देने हेतु परिवादी को कहा गया तथा रिश्वत राशि नही देने पर धमकी देकर नामान्तरण खारिज करने हेतु कहां। आज दिनांक 25.09.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र बैरवा द्वारा रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में 15000 रूपये अपने परिचित मोहम्मद नसीम को स्वंय की उपस्थिति में दिलवाये जिस पर मोहम्मद नसीम ने उक्त रिश्वत राशि 15000 रूपये अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दायी जेब में रख लिये । उक्त रिश्वत राशि 15000 रूपये आरोपी श्री मोहम्मद नसीम की पहनी हुई पेन्ट की दायी जेब से बरामद हुई। आरोपी मोहम्मद नसीम के दोनो हाथो का धोवण जिसमें दाहिने हाथ का धोवण हल्का गुलाबी झाँईदार व बाये हाथ का धोवण मटमैला तथा मोहम्मद नसीम की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवण गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक उक्त रिश्वत राशि अपने परिचित श्री मोहम्मद नसीम प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत प्राप्त की। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का घटित करना पाया जाता है। आरोपीगण 1. नरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री शंकरलाल बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोक हाल अन्नपूर्णा डुंगरी बम्बोर रोड, टोक हाल पटवारी पटवार हल्का कस्बा टोक गर्बी तहसील टोक 2. श्री मोहम्मद नसीम पुत्र श्री हाजी मिंया जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी मोहल्ला चूडीघरान, पुरानी टोक को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिर्कोडिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर श्री अजीत सिंह कानि. 56 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही के दौरान प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। उक्त फर्द मेरे निर्देशन में कानि. 256 श्री ईश्वर प्रकाश ए.सी.बी. टोक से कार्यालय लेपटाप से तैयार करवायी गयी। उक्त फर्द समय 4.55 पी.एम. पर प्रारम्भ कर समय 6.35 पी.एम. पर समाप्त की गई। समय 6.45 पी.एम इस समय स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री शंकरलाल बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला

टोक हाल अन्नपूर्णा डुंगरी बम्बोर रोड, टोक हाल पटवारी पटवार हल्का कस्बा टोक गर्बी तहसील टोक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 7.25 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मोहम्मद नसीम पुत्र श्री हाजी मिंयॉ जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी मोहल्ला चूडीघरान, पुरानी टोक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 8 पी. एम. पर दिनांक 25.09.2025 को परिवादी श्री अब्दुल वहीद व आरोपी नरेन्द्र कुमार बैरवा पटवारी के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय ( दोनो वार्ताऐ) जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की चार सीडियो में तैयार करवायी गयी। तीन सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.25 पी.एम. पर आज दिनांक 25.09.2025 को रूबरू परिवादी श्री अब्दुल वहीद व आरोपीगण नरेन्द्र कुमार बैरवा पटवारी व मोहम्मद नसीम के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के चार सीडियो में तैयार करवायी गयी। दो सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी दौराने श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपीगण नरेन्द्र कुमार बैरवा पटवारी व श्री मोहम्मद नसीम दलाल का राजकीय चिकित्सालय टोक में स्वास्थ्य परीक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली टोक में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 11 पी.एम. पर दिनांक 25.09.2025 को हुयी मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय परिवादी श्री अब्दुल वहीद व आरोपी नरेन्द्र कुमार पटवारी व रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 25.09.2025 मे परिवादी श्री अब्दुल वहीद व आरोपी नरेन्द्र कुमार बैरवा पटवारी व मोहम्मद नसीम के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस 16- 16 GB KDM कम्पनी के नंग 2 को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क “M” अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.15 पी.एम.पर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह के आरोपीगण आरोपीगण नरेन्द्र कुमार बैरवा पटवारी व श्री मोहम्मद नसीम दलाल का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपी को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 11.20 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री अजित सिंह कानि. 56 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री अजित सिंह कानि. 56 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री अजित सिंह कानि. 56 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 4 पेनड्राईव 16-16 जी.बी. PENDENT कम्पनी के तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क C-1, C-2, C-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब की गई । दिनांक 26.09.2025 समय 1 ए.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 15000 रूपये मार्क “एन” सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2 शील्डशुदा पैकिट मार्क- पी शील्डशुदा पैकिट 06 सीडियॉ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में मार्क A-1, A-2, A-3 , B-1, B-2, B-3 तथा शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क- M शील्डशुदा पैकिट तीन पेनड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर मार्क C-1, C-2, C-3, शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क- M-1 बिना शील्ड मोबाईल आई फोन एप्पल कम्पनी, 280 रूपये बिना शील्ड इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 1.30 ए. एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाषानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 2 ए.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल वहीद व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनीष विजय व

राजकुमार कर्णावत को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 2.15 ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 2.45 ए.एम पर श्री अजित सिंह कानि. 56 ने दौराने ट्रेप कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 3.15 ए.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, सीडियॉ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि कस्बा टोक में स्थित खसरा संख्या 1319/3 में परिवादी ने अपने पुत्रों/पुत्री अंजुम वहीद, अनवर वहीद, एजाज वहीद, इमरान वहीद तथा पुत्री तस्लीम वहीद के नाम से माह जून 2025 में कृषि भूमि खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री परिवादी द्वारा उप पंजीयन कार्यालय टोक से माह जून में करवा दी थी। परिवादी ने रजिस्टर्ड भूमि का नामान्तरण खुलवाने हेतु तहसील टोक में आवेदन किया था। परिवादी की लडकी तस्लीम व लडके इमरान वहीद के नाम दिनांक 19.09.2025 को नामान्तरण खुल चुका है तथा अंजुम वहीद, अनवर वहीद, एजाज वहीद के नाम नामान्तरण नही खुला। परिवादी के पुत्र अंजुम वहीद, अनवर वहीद, एजाज वहीद के नाम नामान्तरण खोलने हेतु श्री नरेन्द्र जी बैरवा पटवारी ने 30000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15000 रूपये आज ही लाने हेतु तथा शेष 15000 रूपये बाद मे देने हेतु परिवादी को कहा गया तथा रिश्वत राशि नही देने पर धमकी देकर नामान्तरण खारिज करने हेतु कहां। आज दिनांक 25.09.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र बैरवा द्वारा रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में 15000 रूपये अपने परिचित मोहम्मद नसीम को स्वंय की उपस्थिति में दिलवाये जिस पर मोहम्मद नसीम ने उक्त रिश्वत राशि 15000 रूपये अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दायी जेब में रख लिये। उक्त रिश्वत राशि 15000 रूपये आरोपी श्री मोहम्मद नसीम की पहनी हुई पेन्ट की दायी जेब से बरामद हुई। आरोपी मोहम्मद नसीम के दोनो हाथो का धोवण जिसमें दाहिने हाथ का धोवण हल्का गुलाबी झाँईदार व बाये हाथ का धोवण मटमैला तथा मोहम्मद नसीम के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवण गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी नरेन्द्र बैरवा पटवारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशयpp से सहअभियुक्त मोहम्मद नसीम के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्रपूर्वक रचकर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त की। अतः आरोपीगण 1. नरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री शंकरलाल बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोक हाल अन्नपूर्णा डुंगरी बम्बोर रोड, टोक हाल पटवारी पटवार हल्का कस्बा टोक गर्बी तहसील टोक 2. श्री मोहम्मद नसीम पुत्र श्री हाजी मिंया जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी मोहल्ला चूडीघरान, पुरानी टोक का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। अतः उक्त आरोपीगण 1. नरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री शंकरलाल बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोक हाल अन्नपूर्णा डुंगरी बम्बोर रोड, टोक हाल पटवारी पटवार हल्का कस्बा टोक गर्बी तहसील टोक 2. श्री मोहम्मद नसीम पुत्र श्री हाजी मिंया जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी मोहल्ला चूडीघरान, पुरानी टोक के विरूद् धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (झाबर मल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक ...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)बीएनएस 2023 में आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री शंकरलाल बैरवा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोक हाल अन्नपूर्णा डुंगरी बम्बोर रोड, टोक हाल पटवारी पटवार हल्का कस्बा टोक गर्बी तहसील टोक एवं श्री मोहम्मद नसीम पुत्र श्री हाजी मियां उम्र 42 साल निवासी मोहल्ला चूडी घरान पुरानी टोक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमति वन्दना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू अजमेर, को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 472 पर अंकित है। (डॉ. महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1437-40 दिनांक 26.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक, 2. जिला कलेक्टर, टोंक, 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** Vandana bhati **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/09/2025 21:13:19

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** MAHAVEER SINGH

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1989 | | | | |
| 2 | Male | 1983 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)